

2017/00006

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ


प्रकरण संख्या : 05 / 2017

बमुक0 बाबूलाल बगैरा बनाम अमरसिंह बगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट


06.01.2017 प्रार्थना पत्र बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ । वकील सायलान उपस्थित । वकील सायलान को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है ।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उभयपक्ष को पावंद किया जाता है कि वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.02.2017 तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 2130/2916 वाके ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें । गैरसायलान को जरिये रजिस्ट्री नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22.02.2017 को पेश हो।



22-2-17 वकील सायलान इफ0। पोसाएब राजस्थान में उपस्थित हैं। पत्रावली दिनांक 22-2-17 को पेश हो।

19-6-17 आज यह पत्रावली राजस्थान लोकअदालत। केम्प कोर्ट अदालत सेवा केन्द्र तसीमो पर पेश हुई। वका डिफेंड किया जाता है। अब प्रथम पत्र 212 RTA सम्बन्धित रखें जाने का कोर्ट औचित्य नहीं है। पत्रावली केवल शुमार होकर मूलवाद ही पत्रावली के साथ संलग्न रहे।



उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत, सैपऊ)
(पोसाएब अधिकारी लोक अदालत, सैपऊ)
Smt. Jyoti Sarda
सैपऊ